



SJVN Limited

(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of Himachal Pradesh)
(A Mini Ratna and Schedule 'A' Company)

CIN- L40101HP1988G01008409

website- sjvn.nic.in

Luhri HEP Stage-I

(An IS/ISO9001:2015 certified Project)

Village Bithal, P.O. Shamathala, Teh.Kumarsain, Distt. Shimla – 172030

e-mail: envqcsafetylhev@gmail.com; Phone no.: 01782- 222807, Fax:01782-222277

No.: SJVN/LHEP-I/Env.-FCA/2020- 632

Dated: 31/01/20

To

The Divisional Forest Officer,
Forest Division Anni at Luhri,
Distt.Kullu (H.P.)

Sub: Diversion of 0.9486 ha of additional forest land for Luhri HEP Stage-I (210 MW), Bithal, Shimla for the construction of approach road for Moin quarry site within the jurisdiction of Ani at Luhri Forest Division, Distt. Kullu, Himachal Pradesh- Submission of Hard copy of the proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980.

Sir,

This has reference to your office EDS/ letter No. 4133, dated 22/01/2020. The point wise reply of the shortcomings/ observations as mentioned in the letter are further clarified as under:-

Sr. No.	Shortcomings/Observations	SJVN Reply
4	Reference of previously diverted land has not shown/reflected in the justification for locating the road in forest area i.e. check list No. 10. This should be prepared by giving complete detail of forest area and tree involved in the alternatives examined & reasons for their rejection.	The road for Moin quarry is proposed for transportation of construction materials for all major components of the project like Dam, Toe Power House, Switchyard, diversion Tunnel etc. A jeep able path already exists there. It is now proposed to widen the existing path which is the shortest route for the Quarry from all these components. It is pertinent to mention here that the components of a hydroelectric project are eventually to be finalized as per the geological conditions of the area and cannot be shifted. The other alternative was also examined (as placed in the proposal folder) via Moin Village but that was lengthy and not suitable due to a narrow bridge on River Satluj please.
5	Certificate from the Competent Authority that all the forest rights, under the Forest Right Act- 2006 has not been placed in the proposal folders and place in the proposal folder alongwith the Gram Sabha proceedings. If not processed, undertaking alongwith the copy of papers processed with DC and SDM be placed in the proposal folders. Please see to it.	The Certificate from the Competent Authority that all the forest rights, under the Forest Right Act- 2006 has been processed by Panchayat Level Committee and further submitted to SDM Level Committee for processing (copies enclosed). It shall be provided as soon as it will be processed by DC level Committee, in accordance with the clarification contained in the MoEF&CC, New Delhi letter/file No. 11-43/2013-FC, dated 26/02/2019 vide which it is clarified that <u>FRA-2006 is not a pre-condition for stage-I Forest Clearance (FC-I).</u> Undertaking in this regard is already placed in the proposal please.

It is worthwhile to mention here that this project is of **National interest** to fulfil the increasing demand of electricity with tremendous opportunities for **generation of employment** as well as **development** of the local area. Hence an early action is requested please.

With Regards,

DA: As Above.

Yours Faithfully,


(Er. R.L. Negi)

**Chief General Manager/HOP,
SJVN Ltd., Luhri HEP, Bithal.**



कार्यालय ग्राम पंचायत, देहरा विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि.प्र.)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक

दिनांक

नकल प्रस्ताव संख्या.....दिनांक बैठक.....उपस्थिति.....

अध्यक्षता श्री/श्रीमती.....प्रधान ग्राम पंचायत, देहरा

विषय :-

सेवा में


उपमंडल अधिकारी
आनी जिला कुल्लू
हिमान्चल प्रदेश

विषय :- लुहरी जल विद्युत परियोजना - चरण
I हेतु मोईन (मिल्यर) वन भूमि देने हेतु-

महोदय जी,

देहरा पंचायत के मोईन गांव मिल्यर के तहत
में लुहरी जल विद्युत परियोजना - चरण I के निर्माण हेतु
00-94-86 हेक्टेयर वन भूमि देने हेतु मिश्रित
प्रामि में भर कर अगली कार्यवाही हेतु भेजा
जा रहा है।

Er. R.L. Negi
CGM/Head of Project
SJVN, LHEP, Bithal



ग्राम पंचायत देहरा
विकास खण्ड निरमण्ड
जिला कुल्लू (हि.प्र.)

अनुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

वन अधिकार समिति ग्राम सभा गौड़िन की बैठक आज दिनांक ... को ... बजे, स्थान गौड़िन में श्री/श्रीमति ... की अध्यक्षता में की गई जिसमें गौड़िन गांव (मिया) गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गौड़िन जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें SJVN विभाग द्वारा ... जलविद्युत परियोजना के लिए ... हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत तांजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :- 00-94-86 hect.

क0स0: * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्योरा

- 1.
 - 2.
- तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0: * पात्र ग्राम वासी का नाम

- 1.
 - 2.
- तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

गौड़िन (मिया) जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकारों का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा
वन अधिकार समिति
ग्राम पंचायत देहरा

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

Anita

व्यक्ति

ग्राम पंचायत देहरा
विकास रु. 11/1/19
जिला कुल्हा (उ.प्र.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम समा देहरा
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....

प्रस्ताव संख्या.....

ग्राम समा जोड़न की बैठक आज दिनांक 05/05/2018 को पंचायत में
 बजे, स्थान जोड़न में श्री/श्रीमति सरोज साता प्रधान की अध्यक्षता में
 की गई जिसमें जोड़न गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
 वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जोड़न (सिल्वर) जंगल/वन
 क्षेत्र में (जिसमें SJVN विभाग द्वारा लुई उल्लिखित पर पर के निर्माण के लिए 00-94-86 hect
 भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति की
 सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
 प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम समा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
 दावा नियमानुसार सही पाया गया :- 00-94-86 hect.

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्योरा

1.

2.

तदनुसार यह ग्राम समा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम समा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या जोड़न (सिल्वर) जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
 इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जोड़न (सिल्वर)
 अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान

दिनांक



प्रधान
 ग्राम पंचायत देहरा
 विकास खण्ड निरमरुड
 जिला कुल्लू (हि.प्र.)

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
 ग्राम समा

जिला कुल्लू

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा देहरा

विकास खण्ड निरमण्ड

जिला कुल्लू

(हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ति

दिनांक

प्रस्ताव संख्या

विषय: एनर्जी लाइन

चरण-I के निर्माण हेतु जोड़न (मिटर) विभाग/संस्था को लुई जल विद्युत पर

जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-94-86

उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु। हैक्टयर वन भूमि के

ग्राम सभा देहरा

को एनर्जी लाइन बजे, स्थान जोड़न (मिटर) की बैठक आज दिनांक

की गई, जिसमें एनर्जी लाइन विभाग/संस्था को लुई जल विद्युत पर चरण-I

के निर्माण हेतु जोड़न (मिटर) जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-94-86

हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सन्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सन्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 00-94-86 हैक्टयर वन भूमि को लुई जल विद्युत पर चरण-I निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा देहरा की सहमति दी जाती है।

स्थान

दिनांक



प्रमाण

ग्राम पंचायत देहरा अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
विकास खण्ड निरमण्ड ग्राम सभा
जिला कुल्लू (हि.प्र.)

प्रमाण

ग्राम पंचायत
विकास खण्ड
जिला कुल्लू